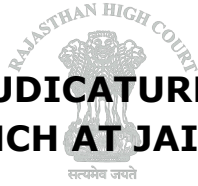


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3915/2025

1. Pintu Singh S/o Anop Singh, Aged About 22 Years, R/o Badakheda, Police Station Todgarh, District Beawar (Raj.)
2. Laxman Singh @ Lakki S/o Pratap Singh, Aged About 25 Years, R/o Badakheda, Police Station Todgarh, District Beawar (Raj.) (At Present In Central Jail, Ajmer)

-----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4700/2025

Narayan Singh S/o Bhery Singh, Aged About 28 Years, R/o Badakheda, Police Station Todgarh, District Beawar (Raj.) (At Present In Jail, Ajmer).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shyam Bihari Gautam Mr. Vijay Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Poonia, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

07/04/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्-पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना- टॉडगढ़, जिला- ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 07/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए), 331(4) भारतीय न्याय संहिता में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदगी पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। पूर्व में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पिंटु सिंह व लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्की दिनांक 08.02.2025 एवं प्रार्थी/अभियुक्त नारायण सिंह दिनांक 16.02.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. पिंटु सिंह पुत्र अनोप सिंह, 2. लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्की पुत्र प्रताप सिंह, 3. नारायण सिंह पुत्र भैरु सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J